



**All India Union of Forest Working People (AIUFWP)**

**अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन**

email: aiufwp@gmail.com

B-137 Dayanand Colony, Lajpat Nagar IV,  
New Delhi-110024  
TeleFax: 011- 26486931

222, Vidhayak Awas, Aishbagh Road,  
Rajendra Nagar, Lucknow  
Phone: 0522-2690343, 2691922

email : ar6.nhrc@nic.in

दिनांक : 5 अक्टूबर 2018

सेवा में,

असिस्टेंट रजिस्ट्रार  
रा मानवाधिकार आयोग  
मानवाधिकार भवन  
नई दिल्ली – 110024

**विषय : केस सं0 13436/24/69/2018, कम्प्लेंट दिनांक 30 मई 2018 का जवाब**

महोदय,

आपका पत्र दिनांक 4 सितम्बर 2018 केस सं0 13436/24/69/2018, कम्प्लेंट दिनांक 30 मई 2018 का जवाब मुझे 20 सितम्बर 2018 प्राप्त हुआ जो कि मेरे व सुश्री तीस्ता सीतलवाड द्वारा दायर याचिका के तहत सोनभद्र प्रशासन को रा0 मानवाधिकार आयोग द्वारा भेजी गई नोटिस का जवाब है। आयोग द्वारा भेजी गई नोटिस का जवाब स्थानीय पुलिस की ही केवल जांच पर आधारित है जिसमें सच्चाई नहीं है केवल एक मनगढ़ंत कहानी बना कर सोनभद्र पुलिस द्वारा आयोग को जवाब भेजा गया है।

महोदय, पिछले तीस वर्षों से मैं देश के एक अत्यंत ही पिछड़े, सांमती व वनाछादित क्षेत्र में वनाश्रित समुदाय मुख्यतः आदिवासी व दलितों के साथ वनाधिकारों पर एक राष्ट्रीय संगठन के तहत कार्य कर रही हूँ। मेरा मुख्य काम यहीं है इसी मुद्दे की वजह से मैं इस दूरदराज के इलाके में अपनी युवा अवस्था में समाज के अति पिछड़े समाज के साथ काम करने की इच्छा से गई थी ताकि मैं अपनी प्राप्त उच्च शिक्षा का इस्तेमाल उस समाज के लिए कर सकूँ जिसको इसकी जरूरत है। मैंने अपनी प्राप्त उच्च शिक्षा का इस्तेमाल अपने लिए व अपने परिवार की पूंजी बढ़ाने के लिए नहीं किया। यह काम मैंने अकेले नहीं किया बल्कि एक संगठन के निर्माण के साथ इन गंभीर मुद्दों पर समाज के प्रभुत्व लोगों, बुद्धिजीवी व समुदाय के भी बुद्धिजीवी व आम लोगों को साथ लेकर काम किया। तीस वर्ष पूर्व 2000 के जिला सहारनपुर व हरिद्वार में एक छोटे से संगठन विकल्प सामाजिक संगठन के साथ शिवालिक जंगलों में जंगल से जुड़े हकदारी, वनग्राम टांगीयां बस्तियों व राजाजी राष्ट्रीय पार्क के साथ मैंने अपना सामाजिक कार्य शुरू किया व वनक्षेत्र व वनाश्रित समुदाय के गंभीर मुद्दों से जुड़ गई। इसके बाद 1993 में राष्ट्रीय श्रमिक केन्द्र का गठन जो कि असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के सवाल पर था उसमें पहली बार देश भर के संगठनों के साथ मिल कर वनक्षेत्र की समस्याओं व उनके लिए विशेष कानून बनाने को लेकर काम करना शुरू किया। उसके बाद 1997 में झाड़खंड के रांची शहर में वनाश्रित समुदाय के अधिकारों के संघर्ष करने के लिए " राष्ट्रीय वनजन श्रमजीवी मंच" का गठन किया जसमें 17 राज्यों के संगठन शामिल हुए व वनाश्रित समुदाय के लिए एक विशिष्ट कानून बनाने के लिए संघर्षों की शुरुआत की। सन् 2002 से लेकर 2006 तक लगातार देश के सामाजिक संगठनों व राजनैतिक स्तर पर इस कानून के लिए संसद के बाहर कई दिन तक जनबल के साथ धरना देने के बाद ही अंततः सन् 2006 में देश की संसद द्वारा " अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनाधिकारों को मान्यता कानून" पारित हुआ। इस कानून को पारित कराने में देश के स्तर पर हमारे संगठन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कानून पारित होने के बाद हमारा संगठन सदस्य आधारित यूनियन में तब्दील हो गया जिसका नाम है " अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन"। यह यूनियन इसलिए बनाया गया चूंकि वनक्षेत्र में वनविभाग द्वारा हिंसा, अत्याचार, शोषण व उत्पीड़न बादस्तूर जारी है उसे मुकाबला करने एवं

समाप्त करने के लिए इस यूनियन को बनाने की जरूरत पड़ी। देश के अन्य हिस्सों में वनाधिकारों के मुद्दों पर काम करने के अलावा मेरा मुख्य आधार क्षेत्र उ०प्र० का सोनभद्र व कैमूर क्षेत्र रहा।

इन वर्षों में वनाधिकारों के सवाल पर काम करते करते सोनभद्र जैसी अतिविवादित वनभूमि क्षेत्र में जब आदिवासी समाज लामबंद हो कर अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े हो रहे हैं तो वहां के दबंग व सामंती ढांचा इससे घबरा कर अपने को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन वनविभाग, पूंजीपति सबको इकट्ठा कर इस दलित समाज पर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं जिसमें सबसे आसान तरीका है फर्जी मुकदमों में लादना, आवाज को खामोश करना और जो अपने हक के लिए बोले उसे जेल में ठूस देना। अपने मानवाधिकारों व जनवादी अधिकारों जो कि हमें संविधान से प्राप्त हुआ है के लिए ही संघर्ष करते वक्त इस तरह से पुलिसिया उत्पीड़न का शिकार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को होना पड़ता है। और शायद इसी उत्पीड़न को बंद करने व शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए दुनिया भर में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए इन संस्थानों ने पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक सकरात्मक कदम उठाया व तब से हर देश में मानवाधिकारों का सवाल एक अहम सवाल है व इसका उल्लंघन किया जाना एक अपराधिक कृत्य है। हमारा मानना है कि हमारे देश में भी मानवाधिकार आयोग का गठन इसी उद्देश्य से किया गया व इसका व्यापक असर भी समाज व दूर दराज के पिछड़े इलाकों में हुआ है। आम व्यक्ति व हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता मानवाधिकार आयोग को बेहद ही उम्मीद के साथ देखते हैं व यह मान कर चलते हैं कि हमें यहां से न्याय मिलेगा। लेकिन आयोग द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ जांच पड़ताल में काफी कमीयां भी देखी गई है। जिसके बारे में मैं यहां विशेष तौर से उल्लेख करना चाहूंगा।

उक्त याचिका जिसमें हमने आदिवासी महिलाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को वनाधिकार कानून 2006 के विशेष संदर्भ में लिखा था जो कि पुलिस व वनविभाग द्वारा खास तौर पर साजिश रच कर किया गया, यह जांच उन्हीं विभाग को दी गई जिनके प्रति शिकायत है व जिनके साथ झगड़ा है। पुलिस के साथ टकराव है और उसी पुलिस को जांच के लिए हमारी याचिका दी गई। यह अपने आप में विरोधाभास है जिससे जाहिर है कि किसी भी प्रकार से सच्चाई न ही सामने आएगी और न ही पीड़ित समुदाय व व्यक्ति को न्याय मिलेगा। इस प्रक्रिया को हम स्वीकार नहीं करते और हम यह चाहते हैं कि अगर आयोग के पास हमारी याचिका पेश हुई है तो यह आयोग का दायित्व है कि वह उक्त याचिका की जांच या तो किसी उच्च स्तरीय एजेंसी से करवाए अन्यथा वह खुद इस जांच को करें ताकि सच्चाई को सामने लाया जा सके। आज तीन महीने बाद हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें फिर से खुद को निर्दोष साबित करने के लिए पत्र लिखना पड़ रहा है। लेकिन किसी भी स्तर पर अभी तक न ही निष्पक्ष जांच हुई और न ही हमें किसी प्रकार की राहत मिली। इस विलम्बित प्रक्रिया में एक बार फिर उन्हीं ताकतों को और मजबूती मिली है जो हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं व जिन्हें मालूम है कि आयोग के द्वारा इस तरह के अनेकों पत्र आते रहते हैं कुछ होने वाला नहीं है इसी लिए जितना विलम्ब हो उतना अच्छा है। इस लिए मैं अति दुखित मन से यह पत्र आयोग के समक्ष पेश कर रही हूँ कि जिस विभाग के साथ हमारा झगड़ा है उसी के द्वारा पेश किए तथ्यों के बारे में हमें जवाब देना है। जो कि झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पत्र पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर जरूर हैं लेकिन उनका नाम नहीं है। हमारी इस प्रक्रिया पर आपत्ति होने के बावजूद भी मैं पुलिस एवं जिलाधिकारी द्वारा भेजे गई रिपोर्ट पर बिन्दुवार जवाब पेश कर रही हूँ। आशा है इसके बाद आप आयोग से या फिर किसी उच्च जांच एजेंसी से इस पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे।

ग्राम लीलासी जिला सोनभद्र उ०प्र० में 14 मई को विजेन्द्र यादव वनदरोगा की तहरीर पर लीलासी की महिलाओं पर पेड़ काटने के आरोप में भारतीय वनअधिनियम 1927 के तहत धारा 5/26 एक झूठा मुकदमा दर्ज किया गया व 18 मई को 12 महिलाओं का धारा 151 के तहत चालान किया गया। उस समय हमारी लखनऊ में वनाधिकार के सामुदायिक दावों के क्रियान्वन को लेकर राज्य स्तरीय बैठक चल रही थी। इस सभा में हमारे यूनियन अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन की अध्यक्षा जारजूम ऐंटे जो कि अरुणांचल प्रदेश की महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा रही है प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता व हमारे यूनियन की उपाध्यक्ष तीस्ता सीतलवाड दोनों मौजूद थी। जब हमारे पास खबर आई तो खुद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष द्वारा सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक रामप्रताप सिंह व जिलाधिकारी अमित कुमार से बात ही व सभी निरुद्ध महिलाओं को उपजिलाधिकारी कार्यालय से निजि मुचलके पर छुड़वाया गया। लेकिन इसके बाद फिर 22 मई 2018 को

पुलिस व वनविभाग द्वारा आदिवासीयों के घरों में जा कर हमला किया गया। 22 मई की घटना जंगल या वनभूमि पर नहीं घटी यह घटना गांव में घटी है जहां सुबह ही पुलिस पहुंची और सुखदेव गोंग के घर में घुस कर मारपीट करने लगी। आखिर पुलिस सुबह सुबह वहां फोर्स लेकर क्या करने गई थी? पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वे लोगों को समझाने गए थे कि पेड़ न काटे तो लोग उनको लामबंद होकर मारने लगे। लेकिन लोग तो अपने घरों में थे वे जंगल में नहीं थे तो पेड़ काटने की बात कहां से आती है? यह जांच का विषय है। दूसरी बात यहां पुलिस का क्या काम था बल्कि जिलाधिकारी या उपजिलाधिकारी को लोगों के साथ बात करने जाना चाहिए था। कोई मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी पुलिस के साथ क्यों नहीं गए इस बात का भी जवाब भी हमें चाहिए।

पत्र में यह भी लिखा है कि 19 मई को स्वराज अभियान दल के नेताओं द्वारा एक गोपनीय सभा ग्राम लीलासी में बुलाई गई थी और आदिवासी महिलाओं और पुरुषों को वनभूमि पर आदिवासीयों के अधिकार बता कर पेड़ पौधे काटकर जोत कोड़ कर वनभूमि पर कब्जा करने के लिए उकसाया गया था। अगर यह काम स्वराज अभियान दल के नेताओं ने किया था तो यह केस मुझ पर व हमारे यूनियन के महासचिव अशोक चौधरी पर क्यों किया गया? व समाचार पत्रों में क्यों प्रकाशित किया गया कि रोमा व अशोक चौधरी के उपर केस दर्ज किए गए। जबकि हम लोग वहां पर मौजूद ही नहीं थे व इस गांव में हम कानूनी रूप से वनाधिकार कानून के तहत सामुदायिक दावों को दायर कर कार्य कर रहे हैं तो फिर हमें क्या जरूरत है इस मामले में किसी विवाद को खड़ा करने की। इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस खुद विवादस्पद बयान दे रही है व इस मामले में सामाजिक संगठनों हमारे यूनियन व स्वराज अभियान को टारगेट किया जा रहा है।

सोनभद्र में आदिवासीयों से सम्बन्धित सारे मामले अपराधिक नहीं बल्कि उनके राजनैतिक व सामाजिक अधिकारों को लेकर हैं जो कि आजादी के समय से चले आ रहे हैं। लीलासी ग्राम के लोगों ने हाल ही में 23 मार्च 2018 को शहीद-ए-आज़म भगतसिंह की पुण्यतिथि पर अन्य 15 ग्राम सभाओं के साथ वनाधिकार कानून 2006 के तहत अपने सामुदायिक दावों को जिलाधिकारी कार्यालय में उपजिलाधिकारी राजकुमार को पेश किया था। जिसकी तस्वीरें व दावे की एक प्रति हमारे पास है व जरूरत पड़ने पर आयोग के समक्ष पेश किया जा सकता है। यह प्रक्रिया कानून के पारित होने के 11 वर्ष बाद तक भी अधूरी है इसलिए इन अधिकारों पर विस्तृत दस्तावेजों की तैयारी के साथ हमारे यूनियन ने देश स्तर पर सामूहिक रूप से दावों को दर्ज करने का प्रस्ताव सहारनपुर में अप्रैल 2017 में आयोजित अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया था। दावा प्रक्रिया जब अभी जारी है तो क्या यह जिलाधिकारी की जिम्मेदारी नहीं थी कि वे 18 मई से 22 मई तक या उसके बाद भी इस मामले में हस्तक्षेप कर या उच्च स्तरीय जांच कर सच्चाई का पता लगाते? लेकिन ऐसा न करके सारा आरोप या तो स्वराज अभियान पर थोपा गया या फिर हमारे संगठन पर कि आदिवासीयों को उकसाया जा रहा है और आदिवासी उकसावे में आ कर जंगल काट रहे हैं। जबकि लीलासी गांव में मामला दबंगों सांमतों व आदिवासीयों के बीच वनभूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे को लेकर है। उक्त भूमि पर जिस पर आदिवासीयों ने दावा भी किया है उनके पूर्वजों की भूमि थी जिसपर वे खेती करते चले आ रहे थे। व 8 वर्ष पूर्व वनविभाग द्वारा उन्हें बेदखल कर दिया गया। इसी भूमि विवाद के चलते लीलासी ग्राम के आदिवासी वनविभाग, सांमतों व दबंगों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं व अपनी खोई हुई भूमि को वापिस चाहते हैं व उस पर पुनर्दखल करना चाहते हैं। सोनभद्र की प्रशासन दबंगों व सांमतों का पक्ष ले रही है व आदिवासीयों एवं उनके लिए बने कानून वनाधिकार कानून की सुरक्षा के बजाय दबंगों व उनकी सुरक्षा करने वाले कर्मचारीयों व अधिकारीयों का साथ दे रही है। इस लिए इस झूठ को छुपाने के लिए कि 22 मई 2018 को पुलिस दरअसल आदिवासीयों को डराने धमकाने उनके गांव में गई थी जहां पर महिलाओं द्वारा उनका जमकर विरोध किया गया तब आदिवासीयों को और दबाने के लिए उनके उपर झूठे मुकदमें 147/148/149/307/323/504/353/332/333/336/427/120/ भदावि 7सीएलए एक्ट/3/5 लो0 सम्पति क्षति निवारण अधि0 तथा 5/26 वन अधिनियम कायम किए गए। अगर पुलिस अपनी जगह सही थी तो आखिर क्यों एसओ सत्यप्रकाश सिंह जो 22 मई को गांव में अपनी टीम लेकर हमला करने गए थे को फौरन ही म्योरपुर थाने से हटा लिया गया?

हमले के बाद गांव में क्यों पुलिस छावनी बिछा दी गई? और क्यों किसी भी पीड़ित व घायल आदिवासी को न ही हस्पताल जाने दिया और न ही कहीं रिपोर्ट करने दी गई? पुलिस द्वारा एक तरफा मामला किया गया व केवल अपने ही कर्मचारीयों की प्राथमिकी व मेडिकल जांच कराई गई जो कि उनके लिए काफी आसान है चूंकि सारा तंत्र उनके साथ है। लेकिन लीलासी ग्राम की ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की सचिव किस्मतिया गोंग जो कि पुलिस के इस हमले से बुरी तरह घायल हुई थी की **मेडिकल रिपोर्ट संलग्न है**। पुलिस का यह कथन की कोई भी ग्रामीण घायल नहीं हुआ बिल्कुल गलत है जिसका सबूत यह मेडिकल रिपोर्ट है जो कि किसमतीया गोंग द्वारा बेहद ही मुश्किल से कराई गई। तत्पश्चात इस मेडिकल रिपोर्ट को किस्मतिया गोंग द्वारा जिलाधिकारी को डाक द्वारा व कमीशनर मिर्जापुर से भेंट कर सौंपी गई। इसी तरह पुलिस द्वारा 22 मई को ग्राम लीलासी में महिलाओं व युवा लड़कियों के साथ काफी मारपीट की व अभ्रदता की लेकिन उन लोगों को प्रशासन ने कहीं आने जाने से रोक दिया व जिलाधिकारी ने उनकी एक नहीं सुनी जिसकी वजह से दूसरे ग्रामीण अपनी मेडिकल रिपोर्ट नहीं बनवा पाए। उन्हें अस्पताल से बिना उपचार के लौटा दिया गया व डाक्टरों द्वारा भी वहीं किया गया जो पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया।

### सत्र न्यायलय – किस्मतिया उर्फ मंजू

आपकों मैंने प्रशासन की भूमिका के बारे में बताया अब न्यायपालिका के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी जो खासतौर पर ऐसे विषय में वहीं करते हैं जो इस जिला के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक कहते हैं। इस प्रकरण में हमें सबसे ज्यादा उम्मीद न्यायपालिका से थी लेकिन सोनभद्र की न्यायपालिका ने हमें सबसे ज्यादा निराश किया। हमारी यूनियन की एक साथी सोकालों गोंग को किस्मतिया गोंग व सुखदेव गोंग के साथ 8 जून 2018 को सोनभद्र के चोपन रेलवे स्टेशन से पुलिस द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया जबकि सोकालों एवं किस्मतिया गोंग के नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं थे। यह लोग 22 मई की घटना को लेकर लखनऊ में वनमंत्री श्री दारा सिंह चौहान से मिलने गए थे। लेकिन बिना जांच पड़ताल किए जज द्वारा उनके न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। न उन्हें उनके वकील से बात करने दी और न ही परिजनों से। काफी दूढ़ते दूढ़ते परिजनों को तीन दिन बाद पता चला कि ये लोग जेल में हैं। *क्या यह जिम्मेदारी न्यायपालिका की नहीं कि वह देखे कि इन महिलाओं का नाम प्राथमिकी में है या नहीं? और बिना जांच पड़ताल किए क्यों इन महिलाओं को जेल भेजा गया यह एक बहुत बड़ा सवाल है?*

It was in *DK Basu v State of West Bengal*, that this Court laid down

requirements to be followed in all cases of arrest, which included the following:

“(2) That the police officer carrying out the arrest of the arrestee shall prepare a memo of arrest at the time of arrest and such memo shall be attested by at least one witness, who may either be a member of the family of the arrestee or a respectable person of the locality from where the arrest is made. It shall also be countersigned by the arrestee and shall contain the time and date of arrest.”

(WRIT PETITION (CRIMINAL) NO 260 OF 2018 (D NO 32319, ROMILA THAPAR AND ORS ..PETITIONERS, VERSUS UNION OF INDIA AND ORS ..RESPONDENTS, J U D G M E N T, Dr Dhananjaya Y Chandrachud, J)

किस्मतिया गोंग को जबरदस्ती मंजू बना कर पुलिस द्वारा रीमांड शीट पर पेश किया गया जबकि प्राथमिकी में एक अन्य महिला मंजू का नाम दर्ज है जो गांव की एक अन्य महिला है लेकिन इतफाक से दोनों के पति का नाम शंखलाल गोंग है। चूंकि किस्मतिया की गिरफ्तारी की कोई वजह दिखानी थी इसलिए किस्मतिया को जबरदस्ती मंजू बनाया गया। यह सब बातें किस्मतिया गोंग की जमानत याचिका के दौरान बहस में सामने आईं। हमारे वकील विनोद पाठक द्वारा तमाम कागजात पेश किए गए जैसे आधार कार्ड, जाब कार्ड व बैंक की पासबुक जिसमें कहीं भी किस्मतिया का नाम मंजू दर्ज नहीं है लेकिन गांव के दबंग बनिया जाति के प्रधान द्वारा जारी प्रमाणित पत्र में किस्मतिया ही मंजू है को आधार मान कर माननीय जज सुबोध वांशनय ए0डी0जे फास्ट ट्रेक द्वारा किस्मतिया की जमानत खारिज कर दी गई। आधार कार्ड की मूल प्रति जिसमें

किस्मतिया व मंजू दो अलग महिलाएँ हैं साफ तौर पर दिखाई देता है को भी मा0 जज ने नहीं माना और जमानत खारिज की गई। **आधार कार्ड की कापी किस्मतिया व मंजू की संलग्न है।** इस बात से कोर्ट में मौजूद सभी लोग आवाक रह गए व लोगों की जुबान पर यह बात आम रूप से थी कि किस्मतिया के साथ अन्याय किया गया है। आखिर किस वजह से किस्मतिया गोंग की जमानत खारिज की गई जो कि उसका मौलिक अधिकार है यह भी एक जांच का विषय है। इसी तरह से सोकालो गोंग की भी जमानत मा0 जज विनय कुमार सिंह ए0डी0जे फास्ट ट्रेक द्वारा खारिज की गई यह कह कर कि उसका लम्बा अपराधिक इतिहास है। सोकालो गोंग एक आदिवासी महिला सामाजिक कार्यकर्ता है जिसका अभी तक किसी भी मामले में अपराध साबित नहीं हुआ है तो फिर अपराधिक इतिहास कैसा? जब कि इस दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वराज अभियान से जुड़े चंद्रिका गोंग जो कि इसी मामले में जेल में निरूद्ध थे को जुलाई महीने में जमानत दे दी गई थी। सत्र न्यायालय द्वारा इस बात का भी संज्ञान नहीं लिया गया कि हाई कोर्ट इन मामलों में जमानत दे चुकी है तब भी किस्मतिया की जमानत अगस्त में व सोकालों गोंग की जमानत सितम्बर में खारिज कर दी गई। गौर तलब बात जो यह है कि इस प्रकरण में पांच गिरफ्तारीयां की गई सोकालो गोंग, किस्मतिया गोंग, सुखदेव गोंग, चंद्रिका गोंग व कृपाशंकर पनिका। यह पांचों ही आदिवासी हैं सुखदेव को छोड़कर किसी का नाम भी प्राथमिकी में नहीं था। चंद्रिका व कृपाशंकर पनिका स्वराज अभियान से जुड़े हुए हैं लेकिन इन्हें भी सत्र न्यायालय सोनभद्र से न्याय नहीं मिला व बिना जांचे परखे जज द्वारा जेल भेज दिया गया। सोनभद्र जैसे सामाजिक रूप से पिछड़े इलाके लेकिन ससाधनों के धनी इलाके में सत्र न्यायालय द्वारा भी अगर वहां के गरीब व निर्दोष लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर वहां के लोग किस व्यवस्था पर भरोसा करें? क्या न्यायपालिका भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है? इस मामले में ऐसा ही प्रतीत होता है। न्यायपालिका के इस रवैये ने अधिवक्ताओं को भी हतोत्साहित किया है। यह एक बेहद ही गंभीर विषय है।

“It is the bounden duty of a court of law to uphold the truth and truth means absence of deceit, absence of fraud and in a criminal investigation a real and fair investigation, not an investigation that reveals itself as a sham one. It is not acceptable. It has to be kept uppermost in mind that impartial and truthful investigation is imperative...If a grave suspicion arises with regard to the investigation. The above observations are a significant reminder of the function of this Court, as the protector of the fundamental rights of citizens. These rights must be safeguarded particularly when there is a possibility that failure to take a position may lead to a denial of justice.(JUDGMENT, Dr Dhananjaya Y Chandrachud, J)

This Court in Joginder Kumar v. State of U.P. [(1994) 4 SCC 260 : 1994 SCC (Cri) 1172] (to which one of us, namely, Anand, J. was a party) considered **the dynamics of misuse of police power of arrest and opined:**

“No arrest can be made because it is lawful for the police officer to do so. The existence of the power to arrest is one thing. The justification for the exercise of it is quite another. ... No arrest should be made without a reasonable satisfaction reached after some investigation as to the genuineness and bona fides of a complaint and a reasonable belief both as to the person's complicity and even so as to the need to effect arrest. Denying a person of his liberty is a serious matter.”

महोदय, किस तरह से ऐसे वनाछादित क्षेत्रों में आदिवासीयों और खासतौर पर महिलाओं का शोषण प्रशासन व न्यायपालिका से होता है उसका अच्छा उदाहरण यह पूरा केस है। पुलिस द्वारा सोकालो व किस्मतिया गोंग की गिरफ्तारी को जायज ठहराने के लिए आखिर चार्जशीट में लीपा पोती की गई। चार्जशीट में भी वादी द्वारा बेहद ही विरोधाभास तथ्य पेश किए गए जैसे मुख्य वादी वनदरोगा विरेन्द्र यादव व आरक्षी द्वारा न ही सोकालों का नाम लिया गया और न ही किस्मतिया का नाम। बल्कि केवल एक गवाह रामगनी द्वारा यह कहा गया कि “ अगर रोमा और अशोक चौधरी द्वारा सोकालों और सुखदेव को न भड़काया होता तो यह घटना घटित ही नहीं होती”। चार्जशीट में यह लिखा गया कि सुखदेव ने कबूल किया कि इस घटना में सोकालों भी शामिल थी। जबकि पुलिस की हिसरासत में दिया गया कोई भी बयान इंडियन ऐवीडेंस एक्ट के तहत मान्य नहीं है। वैसे भी सोकालो लीलासी गांव से 25 किमी की दूरी मझौली दुद्धी ब्लाक में रहती है व वह उस समय घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं

थी । केवल टेलीफोन की बातचीत के अनुसार पर इतना संगीन अपराधिक मुकदमा गरीब, निरहीय आदिवासी महिलाओं पर लादा गया जो कि किसी वादी द्वारा सीधे सबूत के आधार पर नहीं है। केवल एक घटिया बालीवुड जैसी कहानी जो पुलिस के एक कांस्टेबल व वनविभाग के वनदरोगा द्वारा लिखी गई उसे पूरे प्रशासनिक अमले के उच्च अधिकारियों ने अपनी मोहर लगा दी। ऐसा कर उन्होंने अपनी ही न्याय की कुर्सी का अपमान किया है। विवेचना के दौरान यह सभी जानते हैं कि पुलिस की इस मनगढ़त कहानी का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन जो यातना और उत्पीड़न इन पीड़ितों का जेल में चार महीने से न्यायालय में विलम्बत कार्यवाही के चलते हुआ उसी का फायदा पुलिस व प्रशासन ने उठाया है।

इस तरह की गैरकानूनी कार्यवाही, न्यायपालिका की न्याय की अनदेखी निश्चित तौर पर यह जाहिर करती है कि ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों व मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई भी काम करेगा व आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज इसी तरह से उत्पीड़न कर यानि जेल में सड़ा कर खामोश कर दी जाएगी। यहां के अधिकारियों के मुंह से यह बात मैंने अक्सर कहते सुनी है। खुद पुलिस अधीक्षक रामप्रताप सिंह को जब मैंने लीलासी की घटना के तुरन्त बाद आदिवासीयों की सुरक्षा के लिए फोन किया तो उन्होंने धमकी देते हुए मुझे अंग्रेजी में कहा कि “ आई विल टेक एक्शन अगैस्ट यू आलसो – मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगा”। इस बात को सुन कर मैं आवाक रह गई और कुछ दिन बात पता चला कि 307 भ0द0स जैसी धारा व अनेकों धाराएं मुझ पर भी लाद दी गई है। इस तरह की धमकी मुझे पूर्व में भी अन्य पुलिस अधीक्षक एवं उच्च अधिकारियों द्वारा दी गई है। इतने शिक्षित व उच्च पदों पर तैनात आईपीएस व आईएएस अधिकारियों द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता के साथ इस तरह से पेश आना कि “ हरएक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है” उनका अहंकार साबित करता है व वे अपने आप को कानून से उपर समझते हैं। मैं खुद एमए व कानून की ग्रेजुएट हुं क्या एक शिक्षित महिला से ऐसे पेश आना चाहिए? यह रवैया बताता है कि इन अधिकारियों को यह पसंद नहीं कि हम आदिवासीयों के हकों के लिए काम करें व ऐसे लोगों को वे शक एवं हिकारत की नज़र से देखते हैं व उनको मज़ा चखाने के लिए उनपर फर्जी कार्यवाहीयां करतें हैं ताकि हम जैसे लोग इन इलाकों में काम करना छोड़ दे। स्थानीय पुलिस अपना कर्तव्य नहीं बल्कि वर्दी में नेतागिरी कर रही है, आम जनता के संवैधानिक अधिकारों का दमन करने में लगी हुई है।

महोदय, दूरदराज आदिवासी व वनक्षेत्रों में आज भी थानों पर सांमतो, पूंजीपतियों व उच्च जाति का नियंत्रण है। सोनभद्र जैसा क्षेत्र जहां पर प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, खादानें हैं, तरह तरह के मिनरल है वहां पर खनन माफियाओं, बड़ी कम्पनियों का नियंत्रण है जो कि नहीं चाहते कि वहां की सोना उगलने वाली भूमि आदिवासीयों के अधीन हो जाए। इसलिए सारा तंत्र एक हो कर आदिवासीयों की सुरक्षा एवं हकों के लिए बनाए गए कानूनों की अनदेखी कर रहे हैं व संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि यह विवाद काफी पुराना है जो कि ब्रिटिश काल से शुरू हुआ था और इस संदर्भ में अनेकों सरकारी व गैर सरकारी रिपोर्ट हैं जो इस विवाद के राजनैतिक कारणों का विश्लेषण करती है।

“District of Sonbhadra has registered the largest number land disputes in the county after Independence . This has been analysed and placed before the country in the crucial, Central SC/ST Commissioner's Rreport authored by B D Sharma (29<sup>th</sup> Report). More than 533 villages had disputes with forest department as all the Gram Sabha lands were transferred without even completing the process of settlement under Indian Forest Act in 1927. There have been several commissions set up to address the disputes of revenue and forest land in District Sonbhadra (earlier it was Mirzapur District). Besides, the Mangal Dev Visharad Committee report, commissioned in 1972, under the Bahuguna government also discusses in detail the how Gram Sabha lands were illegally transferred to Forest Department. Again, in 1983 the Maheshwar Prasad Committee was formed by the Revenue Board to look into the matter of discrepancies over land ownership and control. These disputes and discrepancies emerged after the formation

the Kaimur Survey Settlement Agency, itself created to solve the disputes. Even further complications had arisen after the Settlement Agency the Gram Sabha and other revenue lands were notified as Reserve Forest u/s 20 of IFA. A writ petition was filed by the Vanvasi Sewa Ashram, Govindpur in the Supreme Court to look into the matter of disputed forest land u/s 20 of the IFA. It was in response to this that the SC commissioned the Maheshwar Prasad Committee to look into this matter and it found that the Gram Sabha and revenue lands were (wrongfully and erroneously) notified u/s 20 as reserved forest. This Committee had also given many recommendations. Unfortunately, none of the recommendations were taken seriously by the subsequent Governments. The Adivasis had a direct conflict with the state right from the colonial period, to date. This has been well documented by various scholars and commissions too. The situation of this dispute has been elaboratively written by Amir Hasan former IAS Officer, UP in his book "Tribal Administration in India". In this publication, the author discusses, in detail how the lands belonging to Adivasis, especially the Kol, Gond and Agaria Adivasis were illegally encroached upon by the Forest Department in both the Kaimur and Bundelkhand regions of Uttar Pradesh". ( Ref from Rejoinder filed in Habeas Corpus petition no 3332/2018 in this case )

आयोग को 30 मई 2015 को लिखे पत्र में हमारे द्वारा आदिवासीयों पर जारी उत्पीड़न की वजह जिसकी जड़ में वनाधिकारों का उल्लंघन है को लेकर खास तौर पर उल्लेख किया था लेकिन इस संदर्भ में न ही जिलाधिकारी और न ही पुलिस अधीक्षक द्वारा कुछ जवाब दिया गया। केवल इस मामले को पुलिस और लोगों के बीच टकराव दिखा कर मामले की लीपा पोती नहीं की जा सकती। यह सब टकराव विशेष अधिकारों को लेकर है जो कि वनाधिकार व भूमि अधिकार से जुड़े हैं इस पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्रमुख सचिव वन एवं वनमंत्री की जवाबदेहीता बनती है। जिसको केवल क्षेत्राधिकारी, इंस्पेक्टर या वन दरोगा के रहमोकरम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस संदर्भ में किसी प्रकार का जवाब देने से अधिकारियों द्वारा बचा जा रहा है व जो मुददा नहीं है उसे सामने ला कर असली मुददे को दबाने की कोशिश की जा रही है। वनाधिकार कानून की धारा 4 उपधारा 5 यह कहती है कि " किसी वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परम्परागत वन निवासीयों का कोई सदस्य उसके अधिभोगाधीन वनभूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा या हटाया जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है"। जब दावे 23 मार्च को जिला मुख्यालय पर दायर किए जा चुके थे तो वनभूमि को लेकर जो भी विवाद उठे उस पर पुलिसिया कार्यवाही क्यों की गई व क्यों आदिवासीयों पर ही एक बार फिर से ऐतिहासिक अन्याय की पुर्नवृत्ति की गई। चूंकि इस कानून की प्रस्तावना में यह भी स्पष्ट लिखा है कि " औपनिवेशिक काल के दौरान तथा स्वतंत्र भारत में राज्य वनों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वनाधिकारों और उनके निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासीयों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय हुआ है"। यह इस केस से साफ जाहिर है कि सोनभद्र प्रशासन आदिवासीयों के प्रति एक बार फिर ऐतिहासिक अन्यायों की पुर्नवृत्ति कर रही है।

सोकालो गोंण व किस्मतिया गोंण की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ हमारे संगठन द्वारा उच्च न्यायालय में हैबियस कॉर्पस याचिका 29 जून 2018 को दायर की गई। जिसमें हमने जो रिजोयडर दिया उसकी उल्लेख नीचे दिया गया है –

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD +14

\*\*\*\*\*

REJOINER AFFIDAVIT

To The Counter Affidavit filed by Respondents.

On behalf of the Petitioners.

IN

HABEAS CORPUS WRIT PETITION NO.3332 OF 2018

(Under Article 226 of the Constitution of India)

DISTRICT – SONBHADRA.

1. Smt. Sokalo Gond wife of Nanak Gond  
Resident of Village Majhauri, P.S. Duddhi, District Sonbhadra
2. Smt. Kismatiya Gond wife of Sri. Pankh Lal Gond  
Resident of- Lilasi, P.S. Muirpur,  
District-Sonbhadra
3. Anshuman Singh son of Sarvadaman Singh  
22 New Quarters, Mohan Meakin Road, Dollyganj  
Nirala Nagar, Lucknow.  
(Executive Member of All India Union of Forest Working People)  
222 Vidhyak Nivas, Aish Bagh Road, Rajendra Nagar, Lucknow.
4. Teesta Setalvad daughter of Atul Motilal Setalvad  
Resident of- Juhu Tara Road, Nirant, Juhu, Mumbai  
Vice President of All India Union of Forest Working People  
(AIUWFP) and Secretary, Citizens for Justice and Peace, Mumbai  
----- Petitioners.

VERSUS

1. State of U.P. through Principal Secretary, Home,  
Govt. of U.P. Lucknow
2. District Magistrate, Sonbhadra
3. Superintendent of Police, Sonbhadra
4. Station House Officer, P.S. Muirpur, District Sonbhadra  
----- Respondents.

Affidavit of Anshuman Singh, aged about 41 years, son of Sarvadaman Singh, Resident of- 22 New Quarters Mohan Meakin Road, Daliganj, Nirala Nagar, Lucknow.  
Caste-Hindu  
Occupation-Private Work.

(Deponent)

I, the deponent above named do hereby solemnly affirm and state on oath as under :

1. That deponent is petitioner No.3 in the present case and partner of other petitioners and he has been authorized to file aforesaid writ petition and as such he is well acquainted with the facts of the case as deposed below.
2. That the deponent has been read over and explained the contents of the counter affidavit sworn by Rupesh Kumar Singh, claiming himself to be posted as Inspector at P.S. Muirpur, District-Sonbhadra, in Hindi. He understood the contents thereof and is giving parawise reply to the same
3. That in reply to the contents of paragraphs No.1 and 2 of the counter affidavit, it would be apt to mention here that deponent of the counter affidavit had claimed himself to be Rupesh Kumar Singh, presently posted as Inspector at P.S. Muirpur, District-Sonbhadra, but, identity card filed in support of proof of his identity issued by U.P. Police department, shows designation of Rupesh



Kumar Singh as Constable. From the above fact, it is to be noted down that Rupesh Kumar Singh had claimed himself to be Inspector at one place, but, his identity card states that he is a Constable. The said Rupesh Kumar Singh cannot hold two designations at the same time. This itself is a reason to reject the counter affidavit because the same is not filed apparently by a genuine person. Moreover, in the counter affidavit, it is not mentioned that out of 4 respondents, on whose behalf, he has filed counter affidavit.

4. That the contents of paragraphs No.3 and 4 of the counter affidavit need no reply, being matters of record.
5. That in reply to the contents of paragraphs No.5 to 11 of the counter affidavit it is submitted that facts narrated therein are totally false, baseless and against the records. The illegal detention of the petitioners No.1 and 2 cannot be justified by making false averments and fake documents had been mentioned in the counter affidavit under reply. It is apparent that respondents are concealing correct facts from the Hon'ble Court and trying to justify the illegal detention of the petitioner No.1 and 2 by making wrong averments. Rest of the contents of paragraphs under reply are not admitted and denied and the contents of paragraphs of the writ petition are reiterated and reaffirmed.
6. There it is further stated that it is an admission in the counter affidavit by the state to the effect that, at the time of arrest on June 8, 2018 the petitioner 1 and 2 were not named in FIR (Case Crime Nos 30/ 2018 filed on May 20, 2018. That despite the fact, that on this date, there was no information about the Petitioners 1 and 2, and they were not named in the said FIR,they were unlawfully and illegally arrested by the police on June 8, 2018.
7. That (as stated in Para 6 of the counter-affidavit) it is only after the arrest of Sukhdev Gond that the Petitioners No 1 and 2 were arrested, on the bases of an alleged confession of Sukhdev Gond were he is alleged to have named both in the commission of the crime. This confession was admittedly made in custody and this by no means can be treated as reliable or tested information. Confession in police custody is not admissible and can be done by pressurizing the accused. The statement made u/s 161 needs to be verified.
8. That the disclosure made through counter affidavit about the alleged arrest of petitioner no. 1 & 2 on 8 the June 2018 is an ante dated document and fake as this document was never in existence at any prior stage because the respondents had not disclosed this fact on 9th July 2018 when the case was listed. Instead on that date learned AGA had orally submitted that the petitioners were released after taken into custody under section 151 Cr. P. C.
9. That the counter affidavit is also full of contradictions as, on the date of hearing of the Habeas Corpus petition on July 9, the counsel for the state had orally stated that both petitioner no 1 and 2 have been challaned u/s 151 and had been released! In Para 9 of the counter affidavit, on affidavit the Inspector now says that at no point of time petitioner no 1 and 2 were challaned u/s 151. If they were not challaned why did the state counsel give false information to the Court? This itself is a matter of grave concern as it raises questions about the motive behind the contradictions. Why was such a loose and irresponsible statement made before the Hon'ble court without any legal verification of the whereabouts of the two women Petitioners 1 and 2.
10. That it is also pertinent to mention the fact as laid down in Para No 7 says of the counter affidavit of the state that states, that (as documented in the arrest memo), Sukhdev was arrested and Petitioners no 1 and 2 accompanied him at the time of arrest. The arrest memo also mentions that the arrest was made at the Chopan railway station. The Petitioners along with Sukhdev had gone to meet the State Forest Minister Mr. Dara Singh Chauhan in Lucknow on June 6 regarding the very repressive and violent behaviour of the officials of the police and forest departments, including physical torture, unleashed on them after they had filed their community rights resource claims on the forest land on March 23, 2018; that is the source of the conflict, not any other. The rightful process of claims being made by forest dwellers and Adivasis on lands being wrongly held

by vested interests. Firstly, this village forest land is under a dispute with the Forest department. Besides, another tract of land which is the forest land of village Lilasi which Adivasis have been cultivating until about eight years ago has suddenly and unlawfully been unlawfully captured by the dominant sections of the Baniya and other communities of the village. The traditional forest dwellers, the Adivasi had an ongoing conflict over this issue, facing repression with the powerful sections in the village.

11. That it is this vested interest feudal hold over tillers land that the Forest Rights Act, 2006 has attempted to address, giving long overdue statutory rights of forest dwellers and Adivasis over land they have tilled and protected for generations. In the letter addressed to the Forest Minister (annexed to the Habeas Corpus petition), the President of the Forest Rights Committee, Nandu Gond and Secretary Kismatiya Gond this issue and conflict has been referred to and the names of these illegal encroachers has also been mentioned. The aggrieved Adivasis also met with Forest Secretary Sanjay Singh in Bapubhavan on June 5 who told the villagers that they should petition the State Forest minister and give the names of illegal encroachers to him, for appropriate action to be taken. This letter to the Forest Minister has been annexed to the habeas corpus petition at annexure No.1 and 2.
12. That aforesaid petition for Habeas Corpus itself says that there was a forest land dispute in the Village Lilasi and that this conflict was over the implementation of Forest Rights Act where Adivasis have claimed their land under this Act. This claim has become point of dispute between tribal and the forest authorities. Adivasis have the right to raise their voice against such atrocities. In pursuance of the conflict, and being aggrieved of their rights due to this conflict where on the one hand you had the powerful (being backed by local sections of the police and on the other traditional, forest dwellers and Adivasis). Petitioners no 1 and 2 had gone to Lucknow to register their legitimate demands and grievances with the concerned authorities. At the time of arrest, the Petitioners were carrying all these documents with them that were forcibly taken away by the police.
13. The FIR was filed on May 22 and the FIR does not mention the name of petitioner 1 and 2 neither it mentions the name of Sukhdev Gond. That they have been arrested on June 8, after their meetings with grievances with Forest Secretary and the Forest Minister, itself is suspicious. The counter affidavit states that since Petitioners 1 and 2 were accompanying Sukhdev, this automatically means that that they were with him during the commission of crime too, is not borne out by logic or evidence. How has this inference been reached?
14. That without giving any details, there is a blithe and casual reference to CDR records being the only basis of the arrest of Petitioners Nos 1 and 2. The fact that someone was in telephonic conversation with someone, the fact that Petitioners No 1 and 2 are prominent leaders of the Adivasi community, the fact that they may have been offering reassurance and support to persons facing violent repression by the police; all these factors could be the reason for the phone calls. On what basis can the state in a counter in a Habeas Corpus case, use confessional statements and the mere mention of CDR records for incarcerating women leaders for over two months like this? It is a long and abused practice of the police, that persons are brought in post facto in the Charge sheet simply to prove the Act of arrest which in this case as in many others has been unlawful and illegal. The fact is that the Habeas Corpus petition was filed on June 29, 2018, the state and its officers prevaricated for weeks, delaying the hearing and worse, affecting the Fundamental Right to Life, Freedom and Equality Before the law as granted by the Constitution.
15. That in Para no 5 of the counter affidavit, the Inspector mentions that it was on the basis of information given by Vijendra Kumar Van daroga, that a case crime no 30 of 2018 was registered. The FIR says that a case prior to this 28 of 2018 was filed by same Vijendra Kumar under 5/26 of Indian Forest Act and other sections of IPC on the allegation that villagers are clearing forest land. This claim again has loopholes: Should not the District Magistrate or SDM at this point have intervened to ascertain the facts as they are the Authorities empowered to do so, and responsible

for the implementation of the FRA according to the Act of 2007? Instead of any such responsible intervention (and investigation) of the authorities required under the Act, the matter was left to police and forest department who are the vested interests identified by the 2007 law for their anti adivasi stances. The reason for the enactment of the law by Indian Parliament in 2006-2007 was in recognition of decades long struggle of the Adivasis who had been exploited by dominant sections in society and the forest departments, that is the dominant sections of the caste elites, usurping traditional Adivasi land.

16. That this is not a frivolous claim but is borne out by the admission of the Inspector in the counter affidavit: this clearly shows that this case involved a dispute over forest land as sections 5/26 of the colonial Indian Forest Act 1927 was invoked against Adivasis along with several sections of the IPC. The villagers, who have claims over the land, have filed community resource claim rights on March 23, 2018 with the District Magistrate. The law is clear here. Without the process of claims being completed the rights of forest people needs to be protected according to FRA. The Forest Rights Act sec 4(5) says that “ Save as otherwise provided, no member of a forest dwelling Scheduled Tribe or other traditional forest dweller can be evicted or removed from forest land under his occupation till the recognition and verification procedure is complete”
17. That the FRA also says that until and unless the process of claims are completed the use of IFA (the colonial Indian Forest Act) cannot be imposed.
18. That section 13, in fact, says “Save as otherwise provided in this Act and the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, the provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.”
19. That it is humbly submitted, therefore, that the action by the Van daroga (forest department officials) and the local police flies against the spirit and intent of the Forest Rights Act, 2006 and perpetuates the historical injustice against the forest dwelling people, especially the Adivasis of Sonbhadra that this law seeks to protect. After the enactment of the FRA has been rendered completely illegal to invoke the colonial, out-dated and repressive 1927 Act especially after the Community Resources Claims were filed (in this case) on March 23, 2018.
20. That the preamble to the Act clearly outlines that, “*AND WHEREAS the forest rights on ancestral lands and their habitat were not adequately recognized in the consolidation of State forests during the colonial period as well as in independent India resulting in historical injustice to the forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who are integral to the very survival and sustainability of the forest ecosystem.*” The police and forest department in this case has committed yet another injustice to Adivasi by invoking these sections of the Act. The petitioners crave leave to file an additional rejoinder after full and complete access to the documents has been gained. These following comments are after reading the Charge sheet prepared by Vinod Pathak to see at what point the name of petitioner 1 and 2 has appeared.
21. That after the arrest the three main witness Vijendra Kumar, the Van Daroga Jayprakash and Ramdeni did not name Petitioner Sokalo anywhere in their statements made under Section 161. The other two witness M Ganishah said that “ *agar roma aur ashok chowdhary sokalo ko phone dwara bhadkaye nahi hote to yeh ghatna ghatit hi nahihoti,*” Sarvesh Pratap Singh other witness Van Daroga said “ क्षेत्रीय नेता सोकालो देवी ने रोमा दीदी ओर अशोक चौधरी के साथ मितिग लखनउ में कराया था वही से पहचान पत्र रा0 वन जन श्रमजीवीका मिला है। सुखदेव के फोन पर बारबाार फोन आर हाथा – वह अलग होकर बात कर रहा था बाद में पता चला कि सोकालो देवी का फोन आर हा था वो ही भडका रही होगी।सोकालो देवी और रोमा भडकाने में बहुत तेज है।”

22. That all the statements under section 161 of both M Ganishah and Sarvesh Pratapsingh made 'witnesses' by the local police, post facto, are based on evidence of telephonic conversations. There is no direct or convincing evidence of Sokalo's involvement in any so-called crime.
23. That name of Petitioner, Kismatiya, too does not appear in any of their statements under 161 by Vijendra Kumar who is the person who lodged the case (FIR) and the other witnesses either.
24. That it is humbly submitted that Petitioner Nos 1, Sokalo's name has appeared in the charge sheet only after they were arrested. Confession in police custody cannot be considered as evidence under the Evidence Act.
25. That it is also humbly submitted that the District of Sonbhadra has has registered the largest number land disputes in the county after Independence in. This has been analyzed and placed before the country in the crucial, Central SC/ST Commissioner's Report authored by B D Sharma (29<sup>th</sup> Report). The Petitioners crave leave to profer this document as and when the need arises. More than 533 villages had disputes with forest department as all the Gram Sabha lands were transferred without even completing the process of settlement under Indian Forest Act in 1927. There have been several commissions set up to address the disputes of revenue and forest land in District Sonbhadra (earlier it was Mirzapur District).
26. That besides, the Mangal Dev Visharad Committee report, commissioned in 1972, under the Bahuguna government also discusses in detail the how Gram Sabha lands were illegally transferred to Forest Department. The Petitioners crave leave to profer this document as and when the need arises.
27. That again, in 1983 the Maheshwar Prasad Committee was formed by the Revenue Board to look into the matter of discrepancies over land ownership and control. These disputes and discrepancies emerged after the formation the Kaimur Survey Settlement Agency, itself created to solve the disputes. Even further complications had arisen after the Settlement Agency the Gram Sabha and other revenue lands were notified as Reserve Forest u/s20 of IFA. The Petitioners crave leave to profer this document as and when the need arises.
28. That it is humbly submitted that a writ petition was filed by the Vanvasi Sewa Ashram, Govindpur in the Supreme Court to look into the matter of disputed forest land u/s 20 of the IFA. It was in response to this that the SC commissioned the Maheshwar Prasad Committee to look into this matter and it found that the Gram Sabha and revenue lands were (wrongfully and erroneously) notified u/s 20 as reserved forest. This Committee had also given many recommendations. Unfortunately, none of the recommendations were taken seriously by the subsequent Governments.
29. That it is further submitted, that, the Adivasis had a direct conflict with the state right from the colonial period, to date. This has been well documented by various scholars and commissions too. The situation of this dispute has been elaboratively written by Amir Hasan former IAS Officer, UP in his book " Tribal Administration in India". In this publication, the author discusses, in detail how the lands belonging to Adivasis, especially the Kol, Gond and Agaria Adivasis were illegally encroached upon by the Forest Department in both the Kaimur and Bundelkhand regions of Uttar Pradesh.
30. That in light of this background, it needs to be understood and contextualized, that *both* Petitioners 1 and 2, both Adivasi women are carrying the legacy of this struggle launched by their fore fathers and organizing themselves into a Union to collectively fight the exploitation and violence faced by their community since independence.
31. That Right to Freedom of Expression and Association is an inalienable right guaranteed under Article 19 (1)(c) of the Constitution. The reason for organizing themselves into a collective is so that they can with rigour and vigour --and from a position of strength -- so that the Act enacted

(after decades of struggle by Adivasis) for the protection of their rights can be effectively implemented.

32. That it is humbly submitted that kind of illegal detention incarceration is motivated and unlawful and being executed using the repressive force of the state, against Adivasis and is aimed at, unlawfully stopping them to realise their fundamental rights as enshrined in our Constitution and denying them their “ right to association” under Article 19 (c).
33. That the version presented by the forest department and the local police in the counter-affidavit is full of contradictions, and motivated by a move to intimidate the Adivasi population.
34. That it is also humbly submitted that, by denying Constitutional means of protest, organization and justice, sections of vested interests abetted by the local police could end up pushing the local Adivasis, in desperation to violent paths, shrinking legitimate democratic spaces, where again, in a bitter cycle they again face the violence of the state.
35. That it is submitted that there have been innumerable false cases against Forest Peoples, both Adivasis and other Forest Dwellers --especially after Act of 2007 came into force. That this case of illegal detention and arrest needs to be understood and seen in this context where in all these cases --regardless of the ideology of the government in power-- a falsified 'criminal history' of the entire section of agitating and organizing forest peoples and women enmasse is being is being constructed by the authorities, especially the Sonbhadra district police. That this is motivated by vested interests trying to deny them their rights, finally recognized under the FRA, 2007.
36. That the emancipatory FRA of 2007 includes special provisions to prevent this post facto harassment of forest dwellers and Adivasis. For example, there is a specific provision in the FRA of 2007 that the cases filed by FD on the related forest land will be treated as evidence to recognize their owner ship rights. It is submitted that it is *because* the process of implementation of FRA is still incomplete that such incidents of targeted harassment and violence and intimidation are not getting addressed effectively. It is submitted that the Adivasis, Forest people and the organization working with them are for this reason alone facing a slew of false cases and intimidation.
37. That the arrest of petitioner 1 and 2 is completely arbitrary and illegal: the police has concocted a whole story to implicate or fabricate them in (one more) false case so that they are intimidated against organization so that they do not organize themselves and raise their voice against the exploitation and violence.
38. That it is humbly stated that under the Constitutional Scheme, guaranteed to preserve the Constitutional Rights and Access to Justice of *all Indians*, especially the marginalized and oppressed, the Court and Judiciary have for decades been the final port of call when injustices have occurred. Though sometimes late, justice has been the norm, re-vitalizing the faith of every Indian, in the democratic way.
39. That it is humbly urged that this Habeas Corpus Petition be seen in that light, that the Sonbhadra Police be held accountable for the illegal detention and arrests of Petitioners 1 and 2, that they be released forthwith; that the DM and SDM of Sonbhadra be made accountable for their responsibilities as statutorily obliged under the FRA Act of 2007; that the State Forest secretary and State Forest Minister be called upon to make their stand clear on this brazenly unfair arrest. This is a matter of the dignity and livelihoods of the forest dwellers, forest workers and Adivasis and cannot be left to the discretion of the local police thana alone.
40. That it is humbly submitted that the Petitioners 1 and 2 going to Petition the State Forest Minister is constructed as part of a conspiracy! Can a democratic right of expressing a grievance be seen as

part of a criminal conspiracy ?यह दोनो महिलाए व सुखदेव वन मंत्री से मिलने लखनउ गए थे जिस के साक्ष्य मौजूद है वन मंत्री से मिलना व उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करना क्या साजिष कि याजाना होता है।

41. That quite apart from the material facts as listed above, the fact of the health and well being of Petitioners Nos 1 and 2 are also a matter of concern and we urge that this Hon'ble Court address this issue.
42. That there is another point that is crucial and deserving of consideration. The Indian Parliament Amended the *Scheduled Castes and Scheduled Tribes- Prevention of Atrocities Act in 2015* (Amended Act 1 of 2016) wherey : January 2016 to the 2015 Bill. Point 4 deals with amendments to Section 3. Amendment is as follows:  
*Section 3 (1) Whoever not being a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe*  
*(f) wrongfully occupies or cultivates any land owned by, or in possession of or allotted to, or notified by any competent authority to be allotted to, a member of a Scheduled Caste of Scheduled Tribe, or gets such land transferred,*  
*(g) wrongfully dispossesses a member of a Scheduled Caste of Scheduled Tribe from his land or premises or interferes with the enjoyment of his rights including forest rights over any land or premises or water or irrigation facilities or destroys the crops, or takes away the produce therefrom,*  
*[Explanation, for clause (f) and (g) "wrongfully is defined as*  
*A) against a person's will*  
*B) without a person's consent*  
*C) with a person's consent where such consent has been obtained by putting the person, or any person in whom the person is interested in fear of death or of hurt*  
*D) fabricating records of such land]*  
*shall be punishable with imprisonment for a term that shall not be less than six months but which may be extended to five years with a fine.*
43. That Indian lawmakers have realized that our Adivasis and Forest Working Tribes need special protection against vested interests especially where land tilling and ownership is concerned. However the lower bureaucracy, lower police and vested interests in the forest department as also dominant communities are still oppressing Adivasis in contravention to these emancipator sections of the law.
44. That this case of the incarceration of Petitioners 1 and 2 fall squarely within this ambit. There immediate release and compensation is due and in order.

I, S.F.A. Naqvi, Advocate, (Enrollment No.2748 of 1980), Chamber No.7, High court Allahabad do hereby declare that the person making this affidavit and alleging himself to be the deponent is the same person and is known to me from perusal of I.D. Card issued by the authority concerned. Advocate.

### आवेदिका का अपराधिक इतिहास

गौरतलब है कि आयोग के नोटिस के जवाब में पुलिस द्वारा आवेदिका यानि मेरा रोमा मलिक का पूरा तथाकथित अपराधिक इतिहास दिया गया है। अपने पत्र में इन्होंने लिखा है " उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदिका रोमा मलिक उक्त अभियोग में अभियुक्ता है जिसकी विवेचना प्रचलित है तथा पूर्व में ही वह कई मामलों में सम्मिलित रही है जिसमें अभियोग पंजीकृत होकर विवेचनोरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदिका द्वारा मात्र अपने बचाव में पेशबन्दी में आरोप अंकित कर प्राथना पत्र दिया गया है "

इस पत्र का जवाब जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दिया है यह बेहद ही अचंभित करने वाली बात है कि जो आवेदन हमने आदिवासीयों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में दिया है उससे आवेदिका के तथाकथित

अपराधिक इतिहास से क्या लेना देना है। इसी तथ्य को तो उजागर करने के लिए हम मानाधिकार आयोग को लिख रहे हैं कि सोनभद्र जैसे जिले में पुलिस का उत्पीड़न चरम सीमा पर है जो कि आदिवासीयों और दलितों पर कहर बरपा रही है। और उनके साथ काम करने वाले लोगों के उपर भी यहीं कार्यवाही कर रही है। यह काम तो जिलाधिकारी ने अच्छा किया कि आवेदिका का भी अपराधिक इतिहास लिख दिया अब मैं इस संदर्भ में आयोग को भी पूरी जानकारी दे सकती हूँ कि किस तरह से सभी केस झूठे और फर्जी तरीके से मुझ पर लगाए गए हैं ताकि यहां पर वनाधिकार कानून जैसे विशिष्ट कानून पर काम नहीं किया जा सके। इस क्षेत्र के तमाम सामाजिक संस्थाओं को डरा धमका कर या तो उन्हें भगा दिया गया या फिर उन्हें वहां के प्रशासन के हिसाब से काम करने पर मजबूर किया गया।

यह “ अपराधिक इतिहास” क्या होता है मुझे मालूम नहीं। क्या इन मुकदमों से अपराधिक इतिहास साबित होता है जो मुझ पर लगाए गए? नहीं होता है इसका जवाब भी मैं ही यहां दे रही हूँ चूकि मैं कोई चोर, डाकू, हत्यारी या अपराधी नहीं हूँ जिसके लिए भ0द0स की तमाम धाराएं थोक के भाव में लगाई गई हैं। कानून विज्ञान की छात्रा होने के नाते मैं इतना जानती हूँ कि कानून में सबसे बुनियादी सिद्धांत क्रिमिनल जूरीसपरूडेंस का होता है जिसका सबसे अहम सिद्धांत है कि “ जब तक किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे अपराधी करार नहीं दिया जा सकता”। जब अभी तक न्यायालय मेरा अपराध ही सिद्ध नहीं कर पाई है तो मेरा अपराधिक इतिहास कैसा?

There are three principles of criminal jurisprudence which are well settled are as under:

(i) that the onus lies affirmatively on the prosecution to prove its case beyond reasonable doubt and it cannot derive any benefit from weakness or falsity of the defence version while proving its case;

(ii) that in a criminal trial the accused must be presumed to be innocent until he is proved to be guilty; and

(iii) that the onus of the prosecution never shifts.

The Law Commission of India, forty-seventh report on the trial and punishment of social and economic offences, It was observed that ‘As has been observed’—“No rule of criminal law is of more importance than that which requires the prosecution to prove the accused’s guilt beyond reasonable doubt. In the first place this means that it is for the prosecution to prove the defendant’s guilt and not for the latter to establish his innocence ; he is presumed innocent until the contrary is proved.

#### **THE PRESUMPTION OF INNOCENCE:-**

As was held by the Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in the case of Katcherla Venkata Sunil vs Dr. Vanguri Seshumamba And Ors: 2008 CriLJ 853, the presumption of innocence is available to him under the fundamental principle of criminal jurisprudence that every person shall be presumed to be innocent unless he is proved guilty by a competent court of law. It was held in Maneka Sanjay Gandhi V. Rani Jethmalani that assurance of a fair trial is the first imperative of the dispensation of justice and the central criterion for the Court to consider when a motion for transfer is made is not the hypersensitivity or relative convenience of a party or availability of legal services or any like grievance. In Abdul Nazar Madani V. State of T.N the Apex Court stated that the purpose of the criminal trial is to dispense fair and impartial justice uninfluenced by extraneous considerations. The apprehension of not getting a fair and impartial inquiry or trial is required to be reasonable and not imaginary based upon conjectures and surmises. roved. Secondly, they must satisfy the jury of his guilt beyond reasonable doubt.’

#### **THE ONUS OF THE PROSECUTION NEVER SHIFTS.**

As was held by the Hon’ble Apex Court in C.M.Girish Babu vs Cbi, Cochin, High Court Of Kerala, the onus of proof lying upon the accused person is to prove his case by a preponderance of probability. As soon as he succeeds in doing so, the burden shifts to prosecution which still has to

discharge its original onus that never shifts, i.e.; that of establishing on the whole case the guilt of the accused beyond a reasonable doubt.” (See Jhangan Vs. State 1966 (3) SCR 736). It was observed in John Manjooran vs C.M. Stephen And Ors, 1973 CriLJ 1722, basically, the original onus never shifts and the prosecution has. at all stages of the case, to prove the guilt of the accused beyond a reasonable doubt.

मेरा जो इतिहास माननीय जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजा गया है उसके बारे में मैं एक-एक केस के बारे में आपको सच्चाई बताना चाहूंगी जो कि आजादी के 71 साल बाद हमारे उपर एक तोहमत है। यह सबित करता है कि जो अंग्रेजों ने आजादी के आंदोलनकारीयों, क्रांतिकारीयों के साथ किया वहीं प्रथा बादस्तूर अभी तक जारी है। गौर तलब है कि शहीद-ए-आज़म भगतसिंह का नाम तक प्राथमिकी में नहीं था लेकिन उनको फांसी पर झूला दिया गया। और वहीं बात आज सोकालों गोण, किस्मतिया गोंण, चंद्रकि गोण और कृपाशंकर पनिका के साथ दोहराई जा रही है। आज भगतसिंह की बेगुनाही की विवेचना लाहौर उच्च न्यायालय में चल रही है। और एक बेहद ही सटीक कानूनी बिन्दू पर जस्टिस आगा हैदर ने भगतसिंह को फांसी देने से इन्कार करते वक्त कहा था कि “ दीस इज कोर्ट नोट ए बुचडखाना”। उनके फांसी देने से इनकार करने पर उन्हें ट्राईब्यूनल से हटा दिया गया था। इसी अंग्रेजी रवैये को आज भी जो समाज के पिछड़े समाज व गरीब तबकों के साथ काम कर रहे है उनके साथ 71 साल की आजादी के बाद अपनाया जा रहा है।

आवेदिका के उपर 16 केसों जो सोनभद्र पुलिस व वनविभाग ने लगाए है उनका विस्तारपूर्वक उत्तर –

**1 थाना रावर्टसगंज 142/01 147,352भादवि 27/29/50/57 भा0वन0अधि 17.04.01**  
**ए-88/03.06.2001**

यह पहला केस मेरे व ग्राम बसौली बल्हौर व ग्राम बहुआर के 20 आदिवासी एवं दलित पर लगाया गया। वनविभाग के रेंजर मदनलाल चौरसिया द्वारा जो अमानवीय कृत्य किया गया वो आज तक मुझे नहीं भूलता है जब वनविभाग के कर्मियों द्वारा बाबा रामखेलावन और रामबली बैगा का घर घेर कर कहा गया था कि एक ही दिन में घर खाली करना है नहीं खाली किया गया तो घर उजाड़ दिया जाएगा। 22 जुलाई 2001 को बारिश के मौसम में बाबा रामखेलावन का पूरा घर तोड़ दिया गया, फसलें उजाड़ दी गईं, कुएं के पास इंजन को कुएं में फेंक दिया गया और बाबा के तीन लड़कों, उनकी बहुओं और बच्चों को बारिश के मौसम में रात भर पानी में रहना पड़ा। अगले दिन बाबा के दो छोटे पोते एक 3 वर्षीय और एक 5 वर्षीय दोनों की मृत्यु हो गई और उनकी मौत का सदमा बर्दाश न करने पर बाबा की पत्नी ने भी अगले दिन प्राण त्याग दिए। एक ही घर में वनविभाग के कारण दो दिन में तीन मौते हो गईं। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। इस घटना पर उस समय हमारा संगठन राष्ट्रीय वनजन श्रमजीवी मंच एवं अन्य सामाजिक संगठन द्वारा इसका विरोध किया गया और पहली बार इस घटना की जांच कई संगठनों द्वारा की गई व अखबारों में इस घटना को प्रचारित किया गया। इसके बाद इस मामले की जांच हुई व वनविभाग के उपर बाबा रामखेलावन द्वारा भी मुकदमा किया गया जिसमें उन्होंने अपनी भूमि पर काबिज होने का दावा किया था। वे अपने भूमि पर बरकरार रहे व हमारी जीत हुई। चूंकि इस टोले में बच्चों का कोई स्कूल नहीं था इसलिए बाबा के दो मासूम पोते की मौत के बाद बाबा के घर के बाहर ग्रामीणों द्वारा एक स्कूल कच्चे घर का बनाया गया। उसी स्कूल को बनाने के जुर्म में यह उक्त मुकदमा **142/01147,352भादवि 27/29/50/57 भा0वन0अधि 17.04.01 ए-88/03.**

**06.2001**। इस मुकदमें के तहत वनविभाग द्वारा फिर एक बार इस देश के संविधान के खिलाफ कार्य किया गया और उस स्कूल को ध्वस्त कर दिया गया व यह झूठे मुकदमें कायम किए गए। इस मुकदमें में बाबा रामखेलावन, उसके तीनों लड़कों एवं तीनों बहुओं पर केस कायम किया गया। लेकिन रेंजर मदन लाल चौरसिया द्वारा किए गए इस असंवैधानिक भूमि से बेदखली की कार्यवाही पर किसी प्रकार की सजा नहीं दी गई। वनविभाग द्वारा उक्त भूमि को वनभूमि बताया गया था जबकि भूअभिलेखों में सन् 1960 में यह भूमि ग्राम सभा के रिकार्डों में अंकित थी जिसे बिना भारतीय वनअधिनियम 1927 में दी गई प्रक्रिया धारा 4 से धारा 20 को पूरी किए बिना वनविभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया था। उसी भूमि पर बाबा रामखेलावन का दावा था। उक्त मुकदमें में मुझ पर वनभूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया लेकिन जिस दिन की घटना



दिखाई गई उस दिन मैं उस मौके पर नहीं थी लेकिन मुझे सबक सिखाने व आदिवासीयों की मदद करने के लिए यह मुकदमा दर्ज किया गया। और यह वनभूमि पर कब्जे का मामला है ही नहीं यहां तो आदिवासी दलित समुदाय अपनी पुश्तैनी जमीनों पर रह ही रहे हैं। यह मुकदमा आज भी न्यायालय में सुनवाई चल रही है अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है।

**4 विण्ढमगंज 186/07 3/2 एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 10.08.07 वापस**

(1. केस थाना रावर्टसगंज 910/07 143,447 भदावि व 7 सीएलए एक्ट 14.07.07, ए-209/30.09.2007,

2. थाना विण्ढमगंज 184/07 143,447,144,,120 बी , 34 भदावि व 5/26/63 भा0वन अधि0 व 7 सीएलए एक्ट 02.08.17 ए-30/13.09.2007,

3. थाना कोन 137/07 147,148,149,427,353,504,120बी, 34 भवादि व 5/26 भा0वन अधि0 व 7 सीएलए एक्ट 04.08.07ए-32/19.09.07

5. थाना कोन रेंज केस-7 12/06 5/26/41/42 भा0 वन अधि0 मा0न्या0मु0मजि0 दुद्धी

6. थाना कोन रेंज केस-7 13/06 5/26/41/42 भा0वन अधि0 मा0न्या0मु0मजि0 दुद्धी

7. थाना कोन रेंज केस-5 2007/08 5/26 भा0 वन अधि0 मा0न्या0मु0मजि0 दुद्धी)

यह छह केस जो मुझ पर थोक के भाव में लगाए गए वह वनाधिकार कानून 2006 के पारित होने के एक वर्ष के अन्दर अन्दर लगाए गए जब सोनभद्र के आदिवासी दलित समाज नए वनाधिकार कानून के सहारे अपनी खोई हुई जंगल और जमीन का पुर्नदखल का आन्दोलन चला रहे थे। यह सब केस वनविभाग द्वारा लगाए गए। एक ही समय पर मैं इतने जगह मौजूद थी यह अपने आप में विरोधाभास है। 3 अगस्त 2007 को मुझे मेरे घर से रावर्टसगंज कस्बे से गिरफतार किया गया व **इन केसों के आधार पर मुझ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया गया।** उत्तरप्रदेश की पहली महिला जिसपर एनएसए लगाया गया। इन केसों में मेरे साथ थाना विण्ढमगंज के दोनों केसों में 200 आदिवासीयों जिसमें 80 फीसदी महिलाए हैं, थाना कोन के चारों केसों में भी किसी में 200, किसी में 150, किसी में 60 तो किसी में इतनी ही संख्या में आदिवासी दलित महिला पुरुष पर झूठे फर्जी मुकदमें लादे गए। ऐसा ही रावर्टसगंज थाने में भी किया गया। इस गैरकानूनी कार्यवाही में जिलाधिकारी आर0पी सिंह व पुलिस अधीक्षक रामकुमार दोनों शामिल थे। गौर तलब है कि यह सब केस भारतीय वनअधिनियम 1927 के तहत लगाए गए। जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। देश की संसद द्वारा वनाश्रित समुदाय के लिए पारित कानून के लागू करने में वनाश्रित समुदाय का वनविभाग और पुलिस विभाग ने बजाय उनके अधिकारों की मान्यता देने के उनका अपराधिक इतिहास बना दिया। **एनएसए जैसा कानून लगाने के बाद तत्कालीन बसपा सरकार ने दस रोज के भीतर 10 अगस्त को ही इस केस को वापिस ले लिया व मुझे बाइज्जत बरी करने के आदेश दिए।** यह बात उक्त तालिका में लिखित रूप से दर्ज की गई है। यह केस वापस होने के बाद सोनभद्र से लेकर कमीशनर से लेकर वाराणसी आई0जी तक सब को हटा दिया गया था व सरकार द्वारा लखनउ में सभी जिलाधिकारीयों की एक मिटिंग बुलाई गई थी जिसमें सोनभद्र में हो रही उथल पुथल की विशेष चर्चा की गई थी और सोनभद्र के पिछड़े व माओवाद से ग्रस्त होने के कारण विशेष पैकेज की भी घोषणा की गई थी। केस वापस होने के बाद पुलिस अधीक्षक रामकुमार को मुझ से मिलने के लिए जेल आना पड़ा था और मुझे याद है सभी जेल कर्मियों के सामने मैंने उन्हें कड़ी आवाज में उनके कर्तव्यों को याद दिलाया था। सरकारी वकील ने बकायदा मुझ से माफी मांगी थी। लेकिन सोनभद्र पुलिस ने इन अवैध मुकदमों के बलबूते मुझे एक महीना जेल में रखा व सभी मुकदमों में जमानत होने के बाद एक महीने बाद जेल से रिहा किया। यहीं नहीं जेल में रहते रहते मैंने महिला बंदिओं एवं उनके मासूम बच्चों की दयानीय स्थिति पर काफी कार्य किया व इस सम्बन्ध में जेल में रहते रहते ही जनसत्ता में मुख्य पृष्ठ पर मिर्जापुर जेल में महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति पर अम्बरीश कुमार की रिपोर्ट निकली थी। इस रिपोर्ट का संज्ञान रा0 मानवाधिकार आयोग द्वारा लिया गया था व जेल की स्थिति व बच्चों की शिक्षा के लिए थोड़े ही सही लेकिन कारगर कदम उठाए गए थे जैसे महिला बैरक में ही बच्चों के स्कूल का निर्माण कराया गया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मुझे फिर 2015 में समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान झूठे मुकदमों में गिरफतार किया गया था और उसी स्कूल में रखा गया था। परन्तु एनएसए वापिस लिए जाने व मुझे बाइज्जत बरी करने के बाद यह सारे केस समाप्त हो गए हैं लेकिन सोनभद्र पुलिस अभी भी इन मुकदमों को मेरा

अपराधिक इतिहास बता कर आयोग के समक्ष पेश कर रही है। रिहा होने के बाद वनाधिकार कानून के तहत उ०प्र० के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य निगरानी वनाधिकार समिति में मुझे विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया व जिसमें प्रदेश में वनाधिकार कानून किस प्रकार से लागू होगा इसके सम्बन्ध में मुझे व मेरे संगठन के सुझावों को विशेष महत्वता दी गई। इसी के पश्चात 2010 में मुझे केन्द्र की यूपीए सरकार द्वारा भी वनाधिकार कानून के लिए गठित एन०सी० सक्सेना कमेटी की संयुक्त समीक्षा समिति में विशेषज्ञ के रूप में नामित किया गया।

इन मुकदमों के निस्तारण हो जाने के बाद भी सोनभद्र पुलिस क्यों मेरा अपराधिक इतिहास बना रही है? इस मामले में जांच होनी चाहिए व इसके लिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को दोषी ठहराया जाना चाहिए एक सम्मानजनक नागरिक के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज करने के लिए।

**थाना विण्ढमगंज 271/12 147,148,353,342,504,506 भदावि 04.11.12 ए-52/29.11.12,**  
**रावर्टसगंज 2062/09-323,504,506,427 भदावि व एससी/एसटी एक्ट-31.12.**  
**09-ए-101/22.03.2010**

11

17 नवम्बर 2009 की यह घटना है जहां पर एक आदिवासी युवक बुद्धिनारायण द्वारा मुझ पर व मेरी सहयोगी महिला शांता भट्टाचार्य पर तहसील दिवस, कचहरी के अन्दर रावर्टसगंज एसओ के सामने पीछे से हमला किया गया व पुलिस खड़ी देखती रही। इस संदर्भ में मैंने शहर के गणमान्य लोगों के साथ तत्कालीन जिलाधिकारी पनधारी यादव को रात को 9 बजे जा कर शिकायत पत्र सौंपा था व महिलाओं पर हमला करने के लिए बुद्धिनारायण पर प्राथमिकि दर्ज करने के लिए लिखित में आवेदन सौंपा था। लेकिन यह मामला दर्ज नहीं हुआ बल्कि उल्टे एक महीने बाद हमीं दो महिलाओं पर एससीएसटी कानून के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त व्यक्ति बुद्धिनारायण एक सरहंग किस्म का आदमी है व कई अपराधिक कार्यों में लिप्त है। यह व्यक्ति ग्राम दरमा तहसील रावर्टसगंज का रहने वाला है। इस गांव के लोग द्वारा भी वनविभाग के आंतक से बड़ा आंदोलन किया गया था व वनविभाग द्वारा लूटी गई उनकी पूर्वजों की भूमि जिसमें कोई जंगल नहीं था पर अपना पुर्नदखल कायम किया था। बुद्धिनारायण अकेले ही उस भूमि को हड़पना चाहता था जिसके विरोध में ग्रामीण एकत्रित हो गए थे व हमने ग्रामीणों का साथ दिया था। यहीं रंजिश बुद्धिनारायण द्वारा मेरे व संगठन के खिलाफ थी लेकिन इसी व्यक्ति का साथ प्रशासन, जिलाधिकारी व पुलिस द्वारा दिया गया ताकि हमारे संगठन को और मुझे बदनाम किया जा सके। इस मामले में कोई भी इंजरी अथवा मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी।

**पिपरी-320/13-143/147/341/342/353/383/188/504/506 भदावि व 7 सीएलए एक्ट-29.09.13**  
**ए-25/05.09.14**

शहीद-ए-आजम भगतसिंह की पुण्यतिथि पर 28 व 29 सितम्बर 2013 को हमारे संगठन द्वारा रेणूकूट में वनाधिकार सम्मेलन तय किया गया था। जिसमें कैमूर क्षेत्र के दूर दराज व देश के भी कई राज्यों से प्रतिनिधि इस सभा में शामिल होने के लिए आए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद संगठन द्वारा एक रैली निकाली गई थी। इस रैली के माध्यम से रेणूकूट सीओ को एक ज्ञापन सौंपना था जो कि हिंडालकों अस्पताल में 14 जुलाई 2013 को ग्राम मझौली निवासी सोकालों गोंग के 13 वर्षीय पुत्र मिथिलेश गोंग की डा० प्रमोद यादव द्वारा खून न चढाए जाने के कारण मृत्यु के विषय में था। बालक पूरी रात मलेरिया व खून की कमी से तड़पता रहा व परिजनों ने अस्पताल में खून की बोतल के पैसे जमा कर दिए थे लेकिन बच्चे को खून नहीं चढाया गया। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक रामबहादुर यादव ने एक जांच समिति बैठाई जिसमें यह साबित हुआ कि डा० प्रमोद यादव द्वारा लापरवाही की गई। यह मामला केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश के पास मैंने खुद पहुंचाया जिन्होंने इस बापत श्री कुमारमंगलम बिड़ला को चिट्ठी लिखी। रेणूकूट स्थित हिंडालकों अस्पताल के सीएमओ नाम यादव नहीं को इसका जवाब देना पड़ा था। इस घटना को लेकर हमारे द्वारा कई बार लापरवाह डाक्टर पर कार्यवाही करने की मांग की गई थी। लेकिन अधिकारियों द्वारा एफआईआर व कार्यवाही करने से मना कर दिया गया। बल्कि हमें धमकी मिलने लगी कि अगर कार्यवाही की मांग करेंगे तो जेल में दूंस दिए जाएंगे। 29 सितम्बर 2013 को एफआईआर का ज्ञापन लेकर जब रैली सीआ प्रमोद यादव के आफिस के बाहर

आई तो प्रमोद यादव ने ज्ञापन लेने से इन्कार किया और कहा कि हाई कोर्ट का आदेश है कि किसी भी डाक्टर पर कार्यवाही नहीं हो सकती। तब हमने उनसे आर्डर मांगा। उन्होंने नेट से आर्डर निकाले में 2 घंटे लगा दिए तब तक रेणूकूट में अस्पताल में हो रहे इस अन्याय को लेकर काफी भीड़ जमा हो गई और वहां रहने वाले लोग भी इस आंदोलन के साथ हो गए चूंकि उनकी भी अस्पताल के खिलाफ काफी शिकायतें थी। इस वजह से वहां काफी लम्बा जाम लग गया जो कि हमारी वजह से नहीं बल्कि पुलिस की लापरवाही व अव्यवस्था के कारण हुआ था। लेकिन अपराधिक मुकदमें हमारे उपर दर्ज हुए जब कि यह रैली शांतिपूर्ण थी व अपने वाजिब हक को लेकर थी। चूंकि इस आंदोलन से हिंडालकों कम्पनी के अस्पताल में चल रहे गोरख धंधे की पोल खुल रही थी इसलिए कम्पनी के कहने पर हम शायद 20 लोगों पर मुकदमें किए गए व 200 लोगों को अज्ञात में दिखाया गया।

12 अधौरा कैमूर विहार -6/13 144/506 - भदावि व रा0स0क्षति नि0अधि - -

अधौरा ब्लाक कैमूर जिला बिहार के बेहद ही पिछड़ा, गरीब व दुर्गम वनक्षेत्रों में से एक है जो कैमूर की पहाड़ियों में बसा हुआ है और जिला सोनभद्र के बार्डर से लगा हुआ है। यहां पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात है व यहां पर सामाजिक रूप से कार्य करना तो बेहद ही कठिन है। इस क्षेत्र में हमारा संगठन पिछले तीन दशकों से काम कर रहा है पूर्व में मेरे दिवंगत वरिष्ठ साथी डा0 विनयन कार्य करते थे, 2006 में अचानक दिल के दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। तब संगठन द्वारा वहां के संगठन को जनवादी तरीके से चलाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। चूंकि यह क्षेत्र माओवादी संगठनों की गिरफ्त में था इसलिए वहां लोकतांत्रिक तरीके से काम करना और भी कठिन था। हमारे संगठन द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों व संविधान के दायरे में रह कर ही काम करने का सिद्धांत अपनाया है इसलिए वहां पर मेरा काम महिलाओं व आदिवासीयों को जागृत करना व उनके वनाधिकारों के बारे में जनजागरण करना था। एक महिला का ऐसे दुर्गम इलाके में काम करना अपने आप में एक चुनौती का कार्य है और इस चुनौती को हमने स्वीकार किया। यही कारण है कि जनवादी ढांचे से तैयार संगठन द्वारा माओवाद को इस वनक्षेत्र से हमारे संगठन द्वारा पीछे हटाया गया जिसे बिहार सरकार द्वारा भी प्रमाणित किया गया कि अब इस क्षेत्र में माओवादीयों की गतिविधियां नहीं है। इसी क्षेत्र में माओवादीयों को भगाने के नाम पर केन्द्रीय सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासी बच्चों के स्कूलों व अस्पतालों पर कब्जा कर रखा है। अधौरा स्थित 30 बैड के अस्पताल पर पिछले 15 वर्षों से केन्द्रीय सुरक्षा बल का कैम्प लगा दिया गया व वहां के गरीब आदिवासीयों को भीषण बीमारीयों की हालत में दुर्गम पहाड़ीयों के रास्ते से 60 किमी दूर भभुआ शहर में इलाज के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में जाते जाते ही बहुत लोगों की मौत रास्ते में ही हो जाती है। केन्द्रीय सुरक्षा बलों को अस्पताल से हटाने व उसे सुचारु रूप से चलाने के लिए हमारा ये शांतिपूर्वक आंदोलन था लेकिन इसे भी शांति व्यवस्था भंग कह कर हम पर मुकदमें किए गए। हालांकि बाद में राजनैतिक स्तर पर इसपर चर्चा हुई व केन्द्रीय सरकार द्वारा 2012 में इन केन्द्रीय सुरक्षा बलों को अस्पताल व स्कूलों से हटाने के आदेश भी दिए गए। अभी केन्द्रीय सुरक्षा बल का कैम्प अलग से निर्माण किया जा रहा है व हमारे आंदोलन से इतना जरूर फर्क पड़ा है कि शायद जल्द ही वहां अस्पताल की सेवाएं आदिवासीयों को मिलने लगेगी। इस मुकदमें में हमारे आफिस में आकर खुद एस0ओ अधौरा द्वारा जमानत दी गई। जिसका प्रमाण हमारे पास मौजूद है।

13 दुद्धी 125/15 147/148/149/323/504/332/353/307/395/397/120 बी भदावि  
व 7 सीएलए एक्ट 14.04.15 ए-57/11.07.15

14 दुद्धी 126/15 147/149/395/427 भदावि 14.04.15 ए-58/11.07.15

15 दुद्धी 127/15 147/148/149/323/504/332/353/186 भदावि व 7 सीएलए एक्ट18.  
04.15 ए-47बी/21.06.15

कनहर बांध दुद्धी तहसील में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा था। इस परियोजना के लिए नया भू अधिग्रहण कानून के तहत किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई बल्कि आदिवासीयों व ग्रामीणों को डरा धमका कर उनके एजेंट बने जिलाधिकारी संजय कुमार व पुलिस

अधीक्षक शिव शंकर यादव द्वारा जबरदस्ती भू अधिग्रहण किया जा रहा था। जिसके विरोध में वहां के ग्रामीण 23 दिसम्बर 2014 से धरने पर बैठे हुए थे।

कई बार मैंने पुलिस अधीक्षक शिव शंकर यादव से कहा था कि " आपकी लीवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी हुई है आप इस अवैध कार्यवाही को मत करीए और लोगों के साथ न्याय किजिए"। लेकिन उनको तो पैसे कमाने की होड़ लगी हुई थी। शिवपाल यादव के नेतृत्व में यह परियोजना चल रही थी क्योंकि वह सिंचाई मंत्री थे उनको खुश करने की फिराक में उस समय सभी अधिकारी अपना कर्तव्य भूल गए व जिसने भी कनहर बांध परियोजना की धोखा धड़ी व लूट को सामने लाने की कोशिश की उनके साथ कुछ भी करने यहां तक हत्या तक करवाने की कोशिश थी। लेकिन संगठन मजबूत होने की वजह से जानलेवा हमला तो नहीं हुआ लेकिन थोक के भाव में झूठे मुकदमें कायम हुए। जिसमें हमपर व मेरे आदिवासी साथियों पर यह आरोप लगाया गया कि हम लोगों ने बड़ी बड़ी मशीनें चुराई है। जो अपने आप में काफी हास्यस्पद था। इन मुकदमों की पैरवी हमारे द्वारा जम कर सत्र न्यायालय में की गई जहां पर पुलिस सुनवाई के दौरान टिक नहीं पाई। आलम यह रहा कि मैं व मेरे साथी जो 2 महीने से उपर जेल में थे हमारे बाहर आने से पहले ही जिलाधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक दोनों जिला छोड़ कर भाग गए। इससे भी ज्यादा अफसोस जनक बात यह रही कि पैसे कमाने की होड़ में पुलिस अधीक्षक शिव शंकर यादव की कुछ ही महीने में जान ले ली और वे स्वर्ग सिंघार गए। इसका मुझे व मेरे साथियों को बेहद दुख हुआ। विडम्बना तो यह थी कनहर बांध प्रकरण में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ग्राम सुन्दरी निवासी अकलू चरो पर 14 अप्रैल को गोली चला कर मारने की कोशिश की गई लेकिन वह बच निकला, अकलू चरो का इलाज कराने गए दो साथी लक्ष्मण चरो व अशर्फी यादव को वाराणसी बी0एच0यू से गायब कर दिया और फिर जेल में डाल दिया वे भी 6 महीने बाद छूट गए, ग्राम कोरची के नेता गम्भीराप्रसाद का इलाहाबाद से उनके वकील रवि किरण जैन के घर के बाहर से अगुवा कर एनकाउंटर कराना चाहा लेकिन इलाहाबाद के वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागदौड़ से अपहरण की पोल खुल गई और गम्भीरा की जान बच गई। बाद में ग्राम मझौली निवासी सोकालों गोंण व मुझे 30 जून 2015 को भारी पुलिस बल लगा कर गायब करना चाहा लेकिन उसमें भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक शिव शंकर यादव ने सभी आंदोलनकारीयों की जान लेनी चाही जिसमें 14 अप्रैल 2015 को भारी पुलिस बल व गांव के दबंगों को इस्तेमाल कर आंदोलनकारीयों पर बर्बरतापूर्ण हमला करवाया जिसमें सैंकड़ों लोग घायल हुए थे उनके फोटों कई समाचार पत्रों व टीवी चैनल एनडीटीवी न जारी किए। उनका इलाज तक होने नहीं दिया न उनके मेडिकल बनने दिए। अकलू चरो पर गोली चालन करने वाले दरोगा कपिल यादव के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की बल्कि उसको बचाया व आंदोलनकारीयों पर उल्टे 307 की कार्यवाही की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक शिव शंकर यादव अपनी जान बचाने में असमर्थ रहे तमाम धन दौलत होने के बावजूद।

दरोगा कपिल यादव जिसने अकलू चरो पर गोली चलाई द्वारा मेरे साथ काफी अभद्रता की गई। 30 जून 2015 की सुबह 6 बजे भारी पुलिस बल के साथ व मेरे घर जहां में किराए श्री विनोद केसरी, पूरब मोहाल, सरिता प्रिंटिंग प्रेस के पास, राबर्टसगंज में रहती थी वहां पर मेरे कमरे में घुस गया। और मेरा हाथ पकड़ कर गन्दी गन्दी गाली दी व मेरा मोबाईल लूट लिया। मेरा सेमसंग का मोबाई मुझे जेल से निकलने के बाद नहीं दिया गया जबकि इसके बारे में मैंने कोर्ट में आवेदन दिया था। सीजेएम संजय यादव ने एक पेशी में मुझे बुला कर कहा था कि आप का आवेदन हम खारिज कर रहे हैं जब आप छूटेंगी तो आप अपना मोबाईल थाने से जा कर ले आइएगा। जब मैं छूटी तो थाने के कई चक्कर लगाए व पुलिस ने मुझे झूठ बोला कि मेरा मोबाईल उन्होंने लिया ही नहीं। हत्यारा कपिल यादव हमारे छूटने से पहले ही अपना ट्रांसफर कराकर जिले से भाग गया।

16 म्योरपुर- 30/18 147/148/149/307/323/504/353/332/333/336/427/120/  
भदावि 7सीएलए एक्ट/3/5 लो0 सम्पति क्षति निवारण अधि0 तथा 5/26 वन अधिनियम- 22.05.18  
विवेचनाधीन

इस केस के संदर्भ में तो पूरा पत्र ही लिखा जा चुका है। स्थानीय पुलिस की इस एक तरफा कार्यवाही पर रोक लगनी चाहिए और यह सब फर्जी मुकदमें वापस होने चाहिए।

इन सभी 16 केसों में से 10 केस भारतीय वनअधिनियम 1927 के तहत किए गए हैं व उसके साथ 2000 की धाराएँ लगाई गई हैं जो कि गैरकानूनी ही नहीं असंवैधानिक हैं। और बाकि अन्य मुकदमों में वनाधिकारों, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओंसे जुड़े हैं। यह केस साबित करते हैं कि मैं इस क्षेत्र में वनाधिकारों के लिए काम करती हूँ तभी वनविभाग द्वारा इतने केस लादे गए जिसमें पुलिस ने उसका साथ दिया है। सिर्फ एक केस जो 2001 में लगाया गया था बाकि सभी 2006 के वनाधिकार कानून पारित होने के बाद लगाए गए हैं। फर्जी मुकदमा का मामला सोनभद्र में बेहद ही गंभीर प्रकार का है जिसमें हमारे एक शोध में पाया है कि सोनभद्र में वनाधिकार कानून आने के बाद दस हजार से भी उपर आदिवासीयों व दलित समुदाय पर मुकदमों में हैं। पुलिस एवं वनविभाग द्वारा पूरे ही समाज को अपराधी करार दिया जा रहा है। इस संदर्भ में सन् 2011 में हमारे संगठन द्वारा लखनऊ में एक जनसुनवाई आयोजित की गई थी जिसमें पूरे प्रदेश के वनक्षेत्रों से वनाश्रित समुदाय ने अपने उपर हो रहे उत्पीड़न के केसों की प्रस्तुति की थी। (इस की एक कापी संलग्न है)

इसके अलावा सन् 2013 में समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान समाज कल्याण विभाग जो कि वनाधिकार कानून को पारित करने की नोडल एजेंसी है द्वारा भी इस बात का संज्ञान लिया था व जनपदों के जिलाधिकारियों को इन फर्जी मुकदमों को वापस करने की सिफारिशें की थी। वनाधिकार कानून पारित होने के बाद कानून के तहत इन मुकदमों को साक्ष्य के रूप में वनाधिकारों को मान्यता देने की बात कही गई है। लेकिन इन फर्जी मुकदमों का लगने का सिलसिला समाप्त ही नहीं हो रहा। इस आदेश की कापी संलग्न है।

### जेल की स्थिति पर एक खास रिपोर्ट

गौरतलब बात है कि इन झूठे मुकदमों के तहत मुझे दो बार जेल भेजा गया एक बार 2007 में बसपा सरकार के दौरान, लेकिन स्थानीय पुलिस की साजिश कामयाब नहीं हो पाई व तत्कालीन सरकार द्वारा एनएसए वापस लिया गया व मुझे बाईजजत बरी किया गया। दूसरी बार सन् 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मुझे जेल भेजा गया जिसमें मुझे फर्जी केसों के तहत ढाई महीने जेल में रहना पड़ा। अब भाजपा सरकार है जो कि एक बार फिर मुझे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। हालांकि दो बार जेल पर कुछ अहम बातें मैं यहां इस पत्र में लिखना चाहूंगी। जिला सोनभद्र को 1989 में अलग जिला बनाया गया था जो कि मिर्जापुर से कट कर बना था। लेकिन अभी दो वर्ष पूर्व तक यहां के सभी बंदियों को मिर्जापुर जो कि सोनभद्र से 80 किमी की दूरी पर है वहां ले जाया जाता रहा। सोनभद्र में जेल को बने कई वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी तक सरकार व प्रशासन द्वारा इस जेल को सुचारु रूप से चलाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। मिर्जापुर जेल में 70 फीसदी बंदी सोनभद्र के होते थे। जब मैं 2015 में जेल में थी तब वहां पर इस बात को लेकर मैंने मिर्जापुर और सोनभद्र के बंदियों में आपस में झगड़ते देखा। चूंकि मिर्जापुर में पुरुष व महिला की बैरकों में क्षमता से तीन गुना ज्यादा बंदी थे जिस के कारण वहां खाने को लेकर, सुविधाओं को लेकर, सोने की जगह को लेकर, पाखाने को लेकर हर बात पर झगड़ा इतना हो जाता था कि कई बार मारपीट की नौबत तक आ जाती थी। लेकिन इस पर अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे काफी हल्ला मचाने पर अभी पिछले दो वर्षों से केवल पुरुषों के लिए सोनभद्र जेल को खोला गया है महिलाओं को अभी भी मिर्जापुर जेल में ही भेजा जा रहा है। मिर्जापुर जेल में महिलाओं के लिए केवल एक ही बैरक है जिसकी क्षमता केवल 30 महिलाओं की है लेकिन उसमें 100 तक महिलाएं हो जाती हैं। जब मैं जेल में थी उस समय 90 महिलाएं जेल में थी जिनके लिए न पर्याप्त भोजन था, न सोने की जगह, न बिस्तर व बर्तनों में भी कमी होती थी। उसके उपर महिला बैरक में तैनात कुछ लेडिज पुलिस द्वारा रोज राशन चुरा कर बाहर ले जाया जाता था। इस अव्यवस्था पर महिलाओं को बोलने का कोई अधिकार नहीं है चूंकि अगर वे बोलेगीं तो या तो उनकी पिटाई होगी अन्यथा उनको और यातनाएं दी जाएगीं। सोनभद्र में जब जेल बन चुका है जो कि मिर्जापुर से कई गुना आधुनिक है तब महिलाओं को मिर्जापुर जेल क्यों भेजा जा रहा है? अभी भी सोकालो गोण द्वारा मुझे खबर मिली कि महिला बैरक में रोज ही झगड़ा होता है इससे वे काफी आतंकित थीं।

दूसरा राबर्टसगंज कचहरी में जो बंदी गृह है उसकी हालत तो बेहद ही खराब है। उस बंदी गृह में दो कमरे हैं जहां पुरुषों को बंद किया जाता है व महिलाएं बाहर चौकी पर बैठती हैं। इस बंदी गृह में एमरजेंसी के लिए एक लेटरिन बंदी गृह के बाहर है जिसकी हालत काफी खराब है, न पानी पीने की व्यवस्था है और न ही पंखों की। पुरुष बंदी उसी बैरक के अंदर पेशाब करते हैं जिससे वहां बाहर चौकी पर बैठना बेहद ही दुर्लभ हो जाता है। अगर लेटरिन लगती है तभी उन्हें बाहर जाने दिया जाता है लेकिन कई मर्तबा बंदी गृह

न खुलने पर बंदी अंदर ही लेटरीन करने पर मजबूर होते हैं। महिलाओं को बंदी गृह के पीछे झाड़ीयों में पेशाब करने जाना पड़ता है। जिससे तमाम इन्फेक्शन बंदियों को हो जाते हैं। जेल में इस माहौल में रहने से मुझे कई तरह के इन्फेक्शन हो गए थे। बंदी गृह के बाहर एक ही हैण्ड पाईप है पानी पीने का जिसके आसपास काफी गंदगी रहती है। इस गंदे वातावरण को लेकर मैंने कई पत्र न्यायालय को लिखे थे व विरोध में मैं बंदी गृह में नहीं बैठती थी बल्कि जो स्पेशल गाड़ी मुझे ले जाती थी हर पेशी पर मैं उसी में बैठी रहती थी। इस विरोध का जरूर कुछ असर हुआ कुछ सफाई जरूर कराई गई है लेकिन बंदी गृह की परिस्थिति आज भी अमानवीय है जिसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए व बंदी गृह में बंदियों के लिए स्वच्छ माहौल व वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सोनभद्र को सुचारू रूप से चलाया जाए व सोनभद्र के सभी बंदियों को सोनभद्र जेल में ही रखा जाए।

महोदय उपरोक्त मामलों को लेकर

**Kumar v State of UP<sup>34</sup> and DK Basu v State of West Bengal<sup>35</sup>.** In DK Basu, Supreme Court elucidated on the importance of personal liberty in the constitutional

scheme:“17. Fundamental Rights occupy a place of pride in the Indian Constitution. Article 21 provides “no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law”.

Personal liberty, thus, is a sacred and cherished right under the Constitution. The expression “life or personal liberty” has been held to include the right to live with human dignity and thus it would also include within itself a guarantee against torture and assault by the State or its functionaries.” (Justice Dr. D Chadrachud in Romila Thapar Vs Union of India).

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने देश में पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के नजरबंद किए जाने पर की है। इसलिए अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि लीलासी गांव में आदिवासीयों के उत्पीड़न जांच उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराई जाए। या आयोग द्वारा खुद की जाए व सच्चाई को सामने ला कर आदिवासीयों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाया जाए। तथा सोकालों गोण एवं किस्मतिया गोण की अवैध गिरफ्तारी की भी उच्च स्तरीय जांच हो व उनको 4 महीने जेल में निरुद्ध किए जाने एवं उत्पीड़न करने के लिए मुवाअजा दिया जाए।

संलग्न दस्तावेज़

- 1- किस्मतिया की मेडिकल रिपोर्ट
- 2- किस्मतिया व मंजू की आधार कार्ड कर कापी संलग्न है।
- 3- फर्जी मुकदमों पर की गई जनसुनवाई की प्रतिलिपि संलग्न है
- 4- गिरफ्तारी की अखबार की रिपोर्ट
- 5- राज्य निगरानी समिति उ0प्र0 में फर्जी मुकदमों को वापस करने वाला आदेश

धन्यवाद



रोमा

